राष्ट्रीय

अनुसूचित जनजाति

आयोग

जून, 2014

'बी' विंग, छठा तल, लोकनायक भवन,

नई दिल्ली-110003

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 338क जोड़कर दिनांक 19 फरवरी, 2004 से की गई है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संविधान अथवा इस समय प्रचलित किसी अन्य कानून अथवा सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जनजातियों को दिए गए विभिन्न सुरक्षणों का कार्यान्वयन और ऐसे सुरक्षणों के कार्यकरण का मूल्यांकन करने का अधिकार दिया गया है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन पूर्णकालिक सदस्य (जिसमें एक महिला सदस्य भी शामिल) हैं।

आयोग का वर्तमान गठनः

नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
डा. रामेश्वर उराँव	**अध्यक्ष**	**01.11.2013**
श्री रवि ठाकुर	**उपाध्यक्ष**	**13.11.2013**
रिक्त	**सदस्य**	
रिक्त	**सदस्य**	
रिक्त	**सदस्य**	

1.2 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य के पद धारण की अवधि, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्षों के लिए है। अध्यक्ष को संघ के केन्द्रीय मंत्री का दर्जा दिया गया है, उपाध्यक्ष को संघ के राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है तथा अन्य सदस्यों का दर्जा भारत सरकार के सचिव का है।

आयोग के कार्य तथा कर्त्तव्य

2.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद, 338क के अन्तर्गत, आयोग को निम्नलिखित कार्य तथा कर्त्तव्य सौंपे गए हैः-

(क) अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित सुरक्षणों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण और अनुवीक्षण करना तथा ऐसे सुरक्षणों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना;

(ख) अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित करने से संबंधित विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना;

(ग) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास में प्रगति का मूल्यांकन करना;

(घ) उन सुरक्षणों के कार्यकरण के बारे में प्रति वर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन पेश करना;

(ड.) ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में जो उन सुरक्षणों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करना; और

(च) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

2.2 अनुच्छेद, 338क के खण्ड (5) के उप-खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, जनजातीय कार्य मंत्रालय की दिनांक 23.08.2005 की अधिसूचना के द्वारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को कुछ अतिरिक्त कार्य सौंपे गए हैं। ये कर्तव्य अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास और उन्नति के संबंध में निम्नलिखित उपायों से संबंधित हैः

(क) जिनको, वन क्षेत्र में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उपज के संबंध में स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने के लिए किये जाने की आवश्यकता है;

(ख) जिनको, विधि के अनुसार खनिज स्रोतों, जल-स्रोतों के ऊपर जनजाति समुदायों के अधिकारों को सुरक्षा के लिए किया जाना है;

(ग) जिनको, जनजातियों के विकास के लिए और अधिक विकासक्षम जीविका संबंधी युक्तियों के कार्यान्वयन के लिए किया जाना है;

(घ) जिनको, विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजाति समूहों के लिए अनुतोष और पुनर्वास की प्रभावकारिता में सुधार के लिए किया जाना है;

(ड.) जिनको, जनजाति के अन्य संक्रामण का निवारण करने के लिए और ऐसे व्यक्तियों के, जिनके मामले में अन्य संक्रामण पहले ही हो चुका है, प्रभावी रूप में पुनर्वास के लिए किया जाना है;

(च) जिनको, वनों का संरक्षण करने और सामाजिक वनरोपण का दायित्व लेने के लिए जनजाति समुदायों का अधिकतम सहयोग प्राप्त करने तथा उन्हें शामिल करने के लिए किया जाना है;

(छ) जिनको, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किया जाना है;

(ज) जिनको, जनजातियों द्वारा खेती को स्थानांतरित करने की पद्धति को, जिसके परिणामस्वरूप उनका लगातार निःशक्तीकरण होता है और भूमि तथा पर्यावरण में अवनति होती, कम करने और अंततोगत्वा समाप्त करने के किया जाना है।

आयोग की शक्तियां-

3.1 खंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट मामलों का अन्वेषण करते समय अथवा उप खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत की जांच करते समय आयोग को दीवानी अदालत की वे शक्तियां प्राप्त हैं, जिसे उसे किसी मुकदमें को चलाने के लिए प्राप्त होती है, विशेषकर निम्नलिखित मामलों में -

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को "समन" करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना,

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना,

(ग) शपथ पर साक्ष्य ग्रहण करना,

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति को मंगाना,

(ड.) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना,

(च) कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति, नियम द्वारा, अवधारित करें।

3.2 भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने, <u>ऑल इंडिया ओवरसीज बैंक एस.सी.एण्ड एस.टी. इम्पलॉईज एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य</u> के प्रकरण में, अपने <u>दिनांक 31.10.1996</u> के निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ टिप्पणी की है कि **भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 (8) द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रदत्त एक दीवानी न्यायालय की सभी प्रक्रियात्मक शक्तियां**

"अनुच्छेद 338 (5) (ख) के अधीन किसी शिकायत की जांच करने अथवा स्थायी निषेधाज्ञा लगाने की एक दीवानी न्यायालय की शक्तियां न तो आयोग में अंतर्निहित हैं और न ही ऐसी किसी शक्ति की, संविधान के अनुच्छेद 338 के खण्ड (8) को पढ़ने से, अपेक्षा अथवा प्राप्ति की जा सकती है। अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करने की कोई शक्ति विशेष रूप से आयोग को प्रदत्त नहीं होने के कारण, किसी कार्यवाही को स्थगन करने का प्राधिकार आयोग को नहीं है।

संघ और राज्य सरकारों द्वारा आयोग के साथ परामर्शः

4. संविधान के अनुच्छेद 338क की खण्ड 9 के अनुसार, संघ तथा प्रत्येक राज्य सरकार, अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले, सभी महत्वपूर्ण नीति संबंधी मामलों पर, आयोग के साथ परामर्श करेंगी।

अनुवीक्षणः

5. संविधान के अंतर्गत दिए गए सुरक्षणों से संबंधित मामलों का अन्वेषण करते समय, आयोग सुरक्षणों के कार्यान्वयन और कार्यकरण का अनुवीक्षण करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

(क) संविधान के अनुच्छेद 23 का कार्यकरण, जिसमें मानव का दुर्व्यवहार, बलात श्रम, आदि का निषेध, अनुसूचित जनजातियों के संबंध में;

(ख) अनुच्छेद 24 के अन्तर्गत, बालश्रम का निषेध, अनुसूचित जनजातियों के संबंध में;

(ग) शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण के लिए अनुच्छेद 15(4) के अन्तर्गत, शैक्षणिक सुरक्षण;

(घ) अनुच्छेद 244 के अंतर्गत आर्थिक सुरक्षण और पांचवीं तथा छठी अनुसूचियों के कार्यकरण तथा जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए अनुदानों को निर्मुक्त करना;

(ड.) अनुच्छेद 29(आई) के अंतर्गत विशिष्ट भाषा, लिपि अथवा संस्कृति का सुरक्षण;

(च) अनुच्छेद 16(4), 16(4ए), 16(4बी) और 335 के अन्तर्गत दिए गए सेवा सुरक्षणों के कार्यकरण, जिसमें नियुक्तियों अथवा पदों में अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्था की गयी है।

(छ) निम्नलिखित विभिन्न कानूनों का प्रवर्तन;

(1) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

(2) बंधित श्रम पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (अनुसूचित जनजातियों के संबंध में)

(3) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (अनुसूचित जनजातियों के संबंध में)

(4) अनुसूचित जनजाति के लोगों की भूमि के हस्तांतरण और पुनःस्थापन से संबंधित राज्य अधिनियम और विनियम।

(5) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (अनुसूचित जनजातियों के संबंध में)

(6) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996

(7) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1984 (अनुसूचित जनजातियों के संबंध में)

(8) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2007

आयोग का कार्य संचालन

6.1 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अपने नई दिल्ली मुख्यालय और छः राज्यों में स्थित आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता हैः-
मुख्यालय में निम्नलिखित छः एकक हैः

1. प्रशासन
2. समन्वय एकक
3. अनुसंधान एकक-1
4. अनुसंधान एकक-2
5. अनुसंधान एकक-3
6. अनुसंधान एकक-4

6.2 अनुसंधान एकक - अनुसंधान एकक-1, अनुसंधान एकक-2, अनुसंधान एकक-3 और अनुसंधान एकक-4 मुख्य कार्यवाही एकक हैं जो, इन चार अनुसंधान एककों के बीच मंत्रालयों/विभागों (उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संगठनों/कार्यालयों सहित) और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के वितरण के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के बारे में सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास, सेवा सुरक्षणों और अत्याचारों से संबंधित सभी मामलों पर कार्रवाई करते हैं।

6.3 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित नीति के प्रतिपादन तथा दिशा-निर्देशों के मुद्दों पर निगरानी रखते हैं और समय-समय पर प्रगति के बारे में मुख्यालय को सूचित करते हैं। किसी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हितों को प्रभावित करने वाले नीति संबंधी निर्णयों को, आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, संबंधित विभागों/कार्यालयों के ध्यान में लाया जाता है।

आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन

7.1 **अनुच्छेद 338क के खंड 5(घ)** में व्यवस्था है "उन सुरक्षणों के कार्यकरण के बारे में प्रति वर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करें" तथा खंड 5(ड.) में व्यवस्था है "ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में जो उन सुरक्षणों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करें"

7.2 **अनुच्छेद 338क के खंड 6 में व्यवस्था है,** "राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या प्रस्तावित कार्रवाई को और किन्हीं ऐसी सिफारिशों की अस्वीकृति के लिए, यदि कोई हों, कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेंगे।

7.3 **अनुच्छेद 338क के खंड 7 में व्यवस्था है कि,** "जहां कोई ऐसा प्रतिवेदन, या उसका कोई भाग, किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है तो ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या प्रस्तावित कार्रवाई को, और किन्हीं ऐसी सिफारिशों को अस्वीकृति के लिए, यदि कोई हों, कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएंगे।"

7.4 वर्ष 2004 में स्थापित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा उपरोक्त अनुच्छेदों के संदर्भ में पाँच वार्षिक एवं एक विशेष राष्ट्रपति महोदय को प्रस्तुत किए गए हैं। वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के लिए प्रथम प्रतिवेदन अगस्त, 2006 में प्रस्तुत किया गया था तथा वर्ष 2006-07 के लिए दूसरा प्रतिवेदन सितम्बर, 2008

में प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2007-08 के लिए तीसरा प्रतिवेदन मार्च, 2010 में प्रस्तुत किया गया है तथा वर्ष 2008-09 के लिए चौथा प्रतिवेदन अगस्त, 2010 में प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2009-10 के लिए पाँचवां प्रतिवेदन दिनांक 13.07.2011 को प्रस्तुत किया गया था, तथा छठा प्रतिवेदन 25.10.2013 को प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा "जनजातीय विकास और प्रशासन के लिए सुशासन" विषय पर एक विशेष प्रतिवेदन दिनांक 18.06.2012 को प्रस्तुत किया गया है। इन प्रतिवेदनों में, संघ एवं राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विकास तथा इनके अधिकारों के सुरक्षणों के संबंध में किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए विभिन्न बिन्दुओं पर अपनी सिफारिशें तथा सुझाव शामिल किए गए हैं। आयोग के प्रथम दो प्रतिवेदन तथा विशेष प्रतिवेदन ही अभी तक संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किये गये हैं। यह तीनों प्रतिवेदन आयोग की वेबसाइट तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अन्य प्रतिवेदन अभी तक संसद के पटल पर नहीं रखी गयी है, अतः उन प्रतिवेदनों की प्रतियाँ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराई जा सकतीं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(क्षेत्रीय कार्यालयों के पते तथा अधिकार क्षेत्र)

क्रम सं.	**स्थान एवं कार्यालय का पता**	**प्रभारी अधिकारी का नाम और पदनाम**	**अधिकार-क्षेत्र**
1.	कमरा संख्या 309, निर्माण सदन, सी.जी.ओ. भवन, 52-ए,अरेरा हिल्स, **भोपाल-462011**	श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक 0755-2578272 0755-2576530(फै.)	कर्नाटक, केरल, गोवा मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, और दादरा एवं नगर हेवली तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र
2.	एन-1/297, आई.आर.सी. विल्लेज, **भुवनेश्वर-751015**	श्री एस.आर. तिरिया, अनुसंधान अधिकारी, (अतिरिक्त प्रभार) 0674-2551616 0674-2551818(फै.)	आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, तथा पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र
3.	कमरा सं0 101-102, केन्द्रीय सदन, सेक्टर-10, विद्याधर नगर, जयपुर-302023	0141-2236779 0141-2235488(फै.)	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तरांचल राज्य और चंडीगढ़ तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र
4.	आर-26, सेक्टर-2, अवन्ति विहार, डाकघर, रविग्राम, **रायपुर-492006**	श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) 0771-2443334 0771-2443335(फै.)	छत्तीसगढ़ राज्य
5.	14, न्यू ए.जी. कोआपरेटिव कालोनी, कदरु, **रांची-492006**	श्री एस.आर. तिरिया, अनुसंधान अधिकारी, 0651-2341677 0651-2340368(फै.)	बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश राज्य
6.	रबेक्का विला, टेम्पल रोड़, लोअर लछुमियर, शिलांग-**793001**	कु0 पी0 सिमलिह, सहायक निदेशे 0364-2504202 0364-2221362(फै.)	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली-110003)

क्र.सं.	नाम	पदनाम	टेलीफोन सं0 (कार्यालय)	टेलीफोन सं0 (निवास स्थान)
1.	**डा. रामेश्वर उरांव**	अध्यक्ष	24635721 24624628 (फै.)	26119495 9868180394
2.	**श्री रवि ठाकुर**	उपाध्यक्ष	24657272 24657474	09418282037
3.	**रिक्त**	सदस्य	24623958	
4.	**रिक्त**	सदस्य	24646945	
5.	**रिक्त**	सदस्य		
6.		सचिव		
7.	**श्री सन्तोष कुमार**	संयुक्त सचिव	24603669	
8.				
9.	**श्रीमती कृष्णा देवी बंसोर**	निदेशक (आर.यू.-3 एवं आर.यू.-4)	24615012	27034868 9968076454
10.	**रिक्त**	निदेशक		
11.	**श्री प्रमोद चंद**	उप सचिव (प्रशासन)	24620638	
12.	**रिक्त**	उप निदेशक		
13.	**श्री राजेश कुमार**	अवर सचिव	24657271	9968255718
14.	**श्री एस0पी0 मीना**	सहायक निदेशक (समन्वय)	24641639	
15.	**रिक्त**	सहायक निदेशक (आर.यू.-1)	24645826	
16.	**रिक्त**	अनुसंधान अधिकारी (आर.यू.-2)	24645826	
17.	**रिक्त**	अनुसंधान अधिकारी (आर.यू.-3)	24645826	
18.	**श्री एन. बालासुब्रमणियन**	अनुसंधान अधिकारी (आर.यू.-4)	24641346	
19.	**श्री प्रदीप अग्रवाल**	एस.एस.ए. (एनआईसी)	24641346	
20.	**रिक्त**	अनुभा अधिकारी (प्रशासन)	24657271	
21.	**श्री राजेश्वर कुमार**	सहायक निदेशक (राजभाषा)	24601640	
सूचना एवं सुविधा केन्द्र		:	1800117777 (टोल फ्री)	
वेबसाइट		:	http://ncst.nic.in	